भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4675
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन

4675. डॉ. के. सुधाकर:
डॉ. भोला सिंह:
श्री पी. सी. मोहन:
कैप्टन बृजेश चौटा:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री जगदम्बिका पाल :
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री बी. के. पार्थसारथी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री नव चरण माझी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है और इनकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार और जिलांवार संख्या कितनी है;
(ख) फरवरी 2025 तक उन्नयन किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है और उनकी राज्यवार और जिलावार परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन में प्रमुख फोकस क्षेत्र जैसे कि अवसंरचना, स्मार्ट लर्निंग, पोषण और स्वास्थ्य निगरानी का ब्यौरा क्या है;

(घ) आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के लिए वर्षवार और राज्यवार कितनी निधि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन में आने वाली चुनौतियां क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(च) गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता सहित पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के प्रमुख घटक क्या हैं; और

(छ) पोषण परिणामों पर एसएनपी का प्रभाव क्या है और राज्यों में प्रभावशीलता में सुधार के लिए किए गए अध्ययन और उपाय क्या हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): 15वें वित्त आयोग की अवधि के अनुसार, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से सरकारी भवनों में स्थित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को बेहतर पोषण प्रदायगी तथा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में सुदृढ़ और उन्नत किया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाडी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे, जिनमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना, पोषण वाटिका, ईसीसीई से संबंधित पुस्तकें और शिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं, प्रदान किए गए हैं। आज तक, 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है।

आवंटित और जारी निधि सहित सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या के संबंध में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(च) से (छ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, पूरक पोषण, जो आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत छह घटकों में से एक है, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) को देश भर में स्थित 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क

के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इसे मुख्य रूप से अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) और औसत दैनिक सेवन (एडीआई) के बीच के अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने के लिए राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार तथा इससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौर से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखा है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**ठिगनापन%**	**अल्प वजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों का प्रतिनिधि चित्र प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 13.75 करोड़ (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) है। तथापि, फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक की आयु के केवल 7.49 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ी में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.25 करोड़ बच्चों की ऊंचाई और वजन के विकास मापदंडों को मापा गया। इनमें से 39.09% बच्चे ठिगने पाए गए, 16.60% अल्प वजन के तथा 5.35% दुबले पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, आंगनवाड़ियों में 8.80 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) नामांकित थे जिनमें से 8.52 करोड़ की ऊंचाई और वजन के विकास मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 37.75% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए तथा 17.19% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए।

उपर्युक्त एनएफएचएस आंकड़े और पोषण ट्रैकर आंकड़े के विश्लेषण से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

वर्ष 2021 में, विश्व बैंक ने एनीमिया और ठिगनेपन की उच्चतम दर वाले 11 प्राथमिकता वाले राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करना था कि क्या लाभार्थियों के पोषण संबंधी ज्ञान में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण और आहार संबंधी पद्धतियों को अपनाया है।

निष्कर्षों से पता चला कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं - प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर का दौरा, और समुदाय आधारित कार्यक्रमों में उपस्थिति - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थीं। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संबंधी संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुंचे तथा 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुड़ाव, संपर्क, व्यवहार परिवर्तन और एडवोकेसी जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि दुबलापन, ठिगनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक जुटाव और जागरूकता एडवोकेसी है जिससे लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जा सके क्योंकि अच्छे पोषण की आदत को अपनाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितम्बर और मार्च-अप्रैल माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आन्दोलन के तहत नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सामुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण संबंधी पद्धतियों में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक माह सामुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने आवश्यक हैं।

****

अनुलग्नक

“आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन” के संबंध में डॉ. के. सुधाकर, डॉ. भोला सिंह, श्री पी. सी. मोहन, कैप्टन बृजेश चौटा, डॉ. राजेश मिश्रा, श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, श्री जनार्दन मिश्रा, श्री सुरेश कुमार कश्यप, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, श्री बी. के. पार्थसारथी, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री नव चरण माझी द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4675 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

आवंटित और जारी निधि सहित सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या के संबंध में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार विवरण **:**

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधि (लाख रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गई निधि (लाख रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगन वाड़ी केंद्रों की संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित निधि (लाख रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधि (लाख रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित निधि (लाख रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी निधि (लाख रुपये में)**	**आज तक जारी कुल निधि (लाख रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	1105	525.58	525.58	1763	1057.8	0	7090	4254.00	0.00	525.58
2	बिहार	3566	1697.77	1697.77	3550	2130	0	4413	2647.80	0.00	1697.77

3	छत्तीसगढ़	4750	1957.92	1957.92	1740	1044	0	5000	3000.00	0.00	1957.92
4	गुजरात	1250	750.00	750.00	0	0	0	11897	7138.20	0.00	750.00
5	हरियाणा	10	3.56	3.56	0	0	0	2794	1676.40	0.00	3.56
6	हिमाचल प्रदेश	100	72.86	72.86	25	22.5	0	905	814.50	0.00	72.86
7	जम्मू और कश्मीर	86	69.66	69.66	50	45	45	202	181.80	181.80	304.20
8	झारखंड	6850	3028.88	3028.88	0	0	0	9925	5955.00	0.00	3028.88
9	कर्नाटक	100	47.39	47.39	178	106.8	106.8	17454	10472.40	10472.40	10639.20
10	केरल	250	116.12	116.12	1710	1026	1026	2192	1315.2	0.00	1142.12
11	मध्य प्रदेश	2220	1305.85	1305.85	9486	5691.6	0	12956	7773.6	0.00	1305.85
12	महाराष्ट्र	1150	520.47	520.47	589	353.4	353.4	13006	7803.60	7803.60	8847.00
13	ओडिशा	6000	2920.92	2920.92	1084	650.4	0	5056	3033.60	0.00	2920.92
14	पंजाब	100	56.88	56.88	0	0	0	253	151.80	0.00	56.88
15	राजस्थान	213	102.93	102.93	340	204	0	2961	1776.60	0.00	102.93
16	तमिलनाडु	800	395.76	395.76	5590	3354	3354	5582	3349.20	0.00	3749.76
17	तेलंगाना	500	278.16	278.16	3529	2117.4	0	979	587.40	0.00	278.16
18	उत्तर प्रदेश	2349	1015.80	1015.80	17845	10707	10707	3503	2101.8	0.00	11722.80
19	उत्तराखंड	350	306.04	306.04	213	191.7	0	264	237.60	0.00	306.04
20	पश्चिम बंगाल	4750	2308.19	2308.19	609	365.4	0	0	0.00	0.00	2308.19
21	अरुणाचल प्रदेश	100	71.51	71.51	0	0	0	52	46.80	46.80	136.80
22	असम	3963	3285.58	3285.58	815	733.5	733.5	629	566.10	566.10	4866.30
23	मणिपुर	30	20.25	20.25	0	0	0	0	0.00	0.00	20.25
24	मेघालय	100	68.90	68.90	8	7.2	7.2	13	11.70	11.70	108.90
25	मिजोरम	100	64.13	64.13	988	889.2	889.2	512	460.80	0.00	953.33

26	नागालैंड	100	72.14	72.14	49	44.1	44.1	0	0.00	0.00	134.10
27	सिक्किम	100	64.13	64.13	335	301.5	0	0	0.00	0.00	64.13
28	त्रिपुरा	200	146.25	146.25	245	220.5	220.5	29	26.10	0.00	366.75
29	अंडमान और निकोबार	0	0	0	86	86	86	54	54	0.00	86.00
30	गोवा	0	0	0	24	14.4	0	0	0	0.00	0.00
31	पुदुचेरी	0	0	0	65	39	39	70	42	0.00	39.00
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	69	69	0.00	0.00
33	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	14	14	14.00	14.00
34	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	18	18	0.00	0.00
	कुल	**41192**	**21273.63**	**21273.63**	**50916**	**31402.4**	**17611.7**	**107892**	**65579.00**	**19096**	**58510.18**

*दिनांक 30.01.2025 तक।

*****